CHAMELI DEVI GROUP OF INSTITUTIONS
• Approved by AICTE, • Certified 2(f) by UGC • Recognized by DTE • Affiliated to RGPV and DAVV
Gram-Umrikheda, Khandwa Road, INDORE - 452 020 • Ph. : 0731-4243600/5/9, 4243626-29
Fax : 0731-4243620 • E-mail : cdgi_indore@cdgi.edu.in • Website : www.cdgi.edu.in
CDGI
www.cdgi.edu.in

NUMBER OF SEATS EARMARKED FOR RESERVED CATEGORY

NORMS AS DTE, M.P.

Year 2022-23

PROGRAMME NAME	Number of seats sanctioned	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule			
		SC	ST	OBC	Gen
B Tech (Mechanical Engineering)	60	12	15	11	30
B Tech (Information Technology)	60	12	15	11	30
B Tech (Electronics and Communication Engineering)	60	12	15	11	30
B Tech (Computer Science and Engineering)	180	36	45	32	90
B Tech (Artificial Intelligence and Data Science)	60	12	15	11	30
B Tech (Civil Engineering)	30	6	8	5	15
B Tech (Computer Science and Information Technology)	90	18	22	16	45
MBA FT	180	36	45	31	90
MBA FA	60	12	15	10	30
MBA MM	60	12	15	10	30

Dr. Manish Shrivastava

Principal

Principal
Chameli Devi Group of Institutions
INDORE

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
प्रथम तल, टैगोर छात्रावास, क्रमांक टी-2, दूरदर्शन रोड, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002
☎ (+91) -7552660441 ✉ dte.helpcenter@mp.gov.in | dte4.academic@mp.gov.in

क्रमांक/ 4/शैक्ष./बी/2022/काउं./ 913,   भोपाल, दिनांक 28 / 07/ 2022

प्रति,

संचालक/प्राचार्य,
समस्त इंजीनियरिंग/पोलीटेकनिक/फार्मेसी/
एमबीए/एमसीए/आर्किटेक्चर महाविद्यालय एवं
(समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थायें)
मध्य प्रदेश।

विषय:- ***एआईसीटीई अप्रूवल प्रोसेस हैण्डबुक-2022-23 के अनुरूप आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (EWS) के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण को कांउसलिंग में लागू करने विषयक।***

* * * *

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में शासन के आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्रा./1/ भोपाल, दिनांक 02 जुलाई, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी *(EWS)* को 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई थी।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये अप्रूवल प्रोसेस हैण्डबुक के चैप्टर 7 के बिन्दु क्रमांक 7.4.4 में सीटों की मैट्रिक्स के संबंध में निर्देश दिये गये है जिसके आधार पर एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता 60 के लिये निम्नानुसार गणना की जानी है।

अनारक्षित श्रेणी के लिये उपलब्ध सीटों की संख्या 50 प्रतिशत रखेजाने के लिये 1.25 गुणांक का उपयोग किया जाकर निम्नानुसार मैट्रिक्स तैयार की जानी है:-

<u>शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु प्रस्तावित सीटों की गणना (प्रवेश क्षमता 60)</u>

अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	16*1.25*60/100	12
अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत	20*1.25*60/100	15
पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत	14*1.25*60/100	11
अनारक्षित	40 प्रतिशत	40*1.25*60/100	30
EWS	10 प्रतिशत	10*1.25*60/100	7
		100 प्रतिशत	**75**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित समस्त पाठ्यक्रमों में उपरोक्तानुसार गणना की जाकर विभिन्न श्रेणी में सीटों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाकर प्रवेश की कार्यवाही संपादित की जायेगी।

''आयुक्त द्वारा अनुमोदित''

(एस.ए.के.राव)
संयुक्त- संचालक
संचालनालय तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश

Principal
Chameli Devi Group of Institutions
INDORE

E:\SAK-Rao\...\Letter\Letter_All institute 10 EWS seats.docx